



दामोदर घाटी निगम/ DAMODAR VALLEY CORPORATION  
डीवीसी टावर्स/DVC TOWERS  
वीआईपी रोड, कोलकाता/VIP ROAD, KOLKATA -700054

सं: एचआर/एडमिन/एमईडी(पॉलिसी)/ई-35951/ 439  
No.: HR/Admin./MED(Policy)/E-35951/

दिनांक: 05.03.2024  
Date: }

(आंतरिक परिसंचरण के लिए/For Internal Circulation)

कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM


विषय: पेंशनभोगी/पूर्व-डीवीसी मरीजों और उनके पति/पत्नी, जिसमें पात्र पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं के लिए विस्तर शुल्क में संशोधन।  
Sub: Revision of Bed Charges for Pensioner/Ex-DVC Patients and their Spouse, including Entitled Family Pensioners.

निगम को पेंशनभोगी/पूर्व-डीवीसी मरीजों और उनके पति/पत्नी, जिनमें पात्र पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं, के लिए विस्तर शुल्क को संशोधित करने में प्रसन्नता हो रही है। यह संशोधन आदेश संख्या एफ सं. जेड 15025/28/2022/डीआईआर/सीजीएचएस दिनांक 12.04.2023 के तहत सीजीएचएस दरों में संशोधन पर आधारित है। वार्ड की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्र (आवास शुल्क) नीचे दिए गए हैं:

The Corporation is pleased to revise Bed Charges for Pensioner/Ex-DVC Patients and their Spouse, including Entitled Family Pensioners. The revision is based on the revision of CGHS rates vide order no. F no Z 15025/28/2022/DIR/CGHS Dated 12.04.2023. The (Accommodation Charges) applicable for different entitled category of ward are given below:

क्र.सं. Sl. No.	पात्रता Entitlement	मौजूदा दर/ Existing Rate (प्रति दिन/ Per Day) रुपये में/In Rs.	संशोधित दर/ Revised Rate (प्रति दिन/ Per Day) रुपये में/In Rs. (सीजीएचएस दरों में संशोधन के आधार पर/Based on revision of CGHS rates)
1.	सामान्य वार्ड General Ward	1000	1500
2.	अर्ध-निजी वार्ड Semi-Private Ward	2000	3000
3.	निजी वार्ड Private Ward	3000	4500
4.	आईसीयू ICU	पात्रता दर/Entitlement Rate + 863	5400

संशोधित दरें 20 फरवरी, 2024 (20.02.2024) से प्रभावी होंगी।  
The revised rates will be effective from 20<sup>th</sup> February, 2024 (20.02.2024).

  
05/3/24  
(राकेश रंजन/Rakesh Ranjan)  
कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)  
Executive Director (HR)

वितरण / Distribution:

डीवीसी पोर्टल पर अपलोड किया गया/Uploaded on DVC Portal

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव, डीवीसी, कोलकाता / Sr. PS to Chairman, DVC, Kolkata
2. सदस्य (तकनीकी) के वरिष्ठ निजी सचिव, डीवीसी, कोलकाता / Sr. PS to Member (Technical), DVC, Kolkata
3. सदस्य-सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव, डीवीसी, कोलकाता / Sr. PS to Member-Secretary, DVC, Kolkata
4. सदस्य (वित्त) के वरिष्ठ निजी सचिव, डीवीसी, कोलकाता / Sr. PS to Member (Finance), DVC, Kolkata
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी के वरिष्ठ निजी सचिव, डीवीसी, कोलकाता / Sr. PS to CVO, DVC, Kolkata